



दिनांक 06.03.2024

प्रेस विज्ञप्ति 06 / 2024

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा नये आपराधिक कानून विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा आज दिनांक: 06.03.2024 को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में तीनों नये आपराधिक कानूनों यथा भारतीय न्याय संहिता—2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता—2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के सम्बन्ध में प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, विधिवेत्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के साथ आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया गया।

उक्त एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा हाईब्रिड मोड (आफ लाइन/ऑन लाइन) में आयोजित किया गया, जिसमें लखनऊ की अजनपदीय इकाईयों में तैनात आई०पी०एस० अधिकारियों द्वारा आफलाइन एवं प्रदेश के कमिश्नरेट/जनपद/इकाई में तैनात आई०पी०एस० अधिकारियों द्वारा ऑन लाइन प्रतिभाग किया गया।

कार्यशाला में भारतीय न्याय संहिता—2023 के सम्बन्ध में प्रोफेसर डॉ० कुमार असकन्द पाण्डेय डॉ० राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, प्रोफेसर बी०बी० पाण्डेय रिटायर्ड डीन विधि शास्त्र दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता—2023 के सम्बन्ध में प्रोफेसर डॉ०जे०पी०यादव Amity विश्वविद्यालय लखनऊ, प्रोफेसर डॉ० राजीव कुमार Amity विश्वविद्यालय लखनऊ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के सम्बन्ध में प्रोफेसर डॉ० अनुराग श्रीवास्तव लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा नये कानून की विशेषताओं एवं उनमें उल्लिखित प्राविधानों एवं श्री आशीष गुप्ता पुलिस महानिदेशक नियम एवं ग्रन्थ उ०प्र० द्वारा नये आपराधिक विधि के क्रियान्वयन के रोडमैप के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी।

~ 2 ~

इस अवसर पर श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा पुलिस महानिदेशक एवं श्री सुनील कुमार गुप्ता अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहें।



- पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त

### गिरफ्तार

- 01 मोटर साइकिल
- 01 मोबाइल फोन
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 06.03.2024 को थाना फूलपुर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खंजहापुर से सैदपुर मार्ग पर मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अमित उर्फ भैयालाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना में हनगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद आजमगढ़, गाजीपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी एक्ट, आम्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमित उर्फ भैयालाल निवासी ग्राम पटना थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

## बरामदगी

1-01 मोटर साइकिल।

2-01 मोबाइल फोन।

3-आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड।

4-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

## जनपद चित्रकूट/थाना बहिलपुरवा

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
  - चोरी की चॉदी के आभूषण
  - 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 05.03.2024 की रात्रि थाना बहिलपुरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गिरधर बाबा तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कल्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की चॉदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद चित्रकूट से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बहिलपुरवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

1-कल्लू निवासी रामपुर कल्याणगढ़ थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट।

## बरामदगी

1-चोरी की चॉदी के आभूषण।

2-01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

~ 5 ~  
जनपद फिरोजाबाद / थाना शिकोहाबाद

• पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफतार

• चोरी के सोने के आभूषण

• 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित / खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 05.03.2024 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भूड़ा नहर पुल पटरी के पास से पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों 1—जीशान 2—आसिफ अली 3—आरिफ उर्फ छोटे 4—नगीन को गिरफतार किया गया। गिरफतार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित / खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18/19.02.2024 को थाना शिकोहाबाद क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफतारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफतार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफतार अभियुक्त

1—जीशान निवासी शाही मस्जिद कटरा पठान थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

2—आसिफ अली निवासी मो0कटरा पठान थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

3—आरिफ उर्फ छोटे निवासी रुकनपुरा थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

4—नगीन निवासी मो0 मसरुरगंज थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

### बरामदगी

1—चोरी के सोने के आभूषण।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित / खोखा कारतूस आदि।

- 06 अभियुक्त गिरफ्तार
- कुल लगभग 05 करोड़ 10 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलो 100 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम
  - 04 मोबाइल फोन
  - 01 मोटर साइकिल
- नगद रुपये आदि बरामद

दिनांक: 06.03.2024 को थाना रामचन्द्र मिशन, थाना कोतवाली, थाना बण्डा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों से 06 अभियुक्तों 1—वैजनाथ 2—महेश 3—अवनीश कुमार 4—कृष्णा कुमार 5—रामवीर 6—चेतराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से कमश: लगभग 05 करोड़ 10 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलो 100 ग्राम फाइन क्वालिटी अवैध अफीम, 04 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, नगद रुपये बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रामचन्द्र मिशन, थाना कोतवाली, थाना बण्डा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामचन्द्र मिशन

- 1—वैजनाथ निवासी विलारी थाना कैराडाडी जनपद हजारीबाग, झारखण्ड।
- 2—महेश निवासी ग्राम ग्वार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
- 3—अवनीश कुमार निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।
- 4—कृष्णा कुमार निवासी ग्राम हैवई थाना कैराडांडी जनपद हजारीबाग, झारखण्ड।
- 5—रामवीर निवासी खनपुरा कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
- 6—चेतराम निवासी खनपुरा कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

#### बरामदगी

- 1—लगभग 05 करोड़ 10 लाख रुपये कीमत की 05 किलो 100 ग्राम फाइन क्वालिटी अवैध अफीम।
- 2—04 मोबाइल फोन।
- 3— 01 मोटर साइकिल।
- 4—नगद रुपये।

• लगभग 09 लाख रूपये कीमत के 110 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

दिनांक: 05 / 06.03.2024 की रात्रि थाना सलेमपुर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जटपुरा पैठ के सामने पानी की टंकी के पास से अभियुक्त हीरालाल कामत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 09 लाख रूपये कीमत के 110 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हीरालाल कामत निवासी ग्राम हर्री थाना मरोना जनपद सिपोह, बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 09 लाख रूपये कीमत के 110 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

➤ जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 06 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना गुलावठी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 420 / 406 व 376(2) भादवि सपठित धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एकट व 3 / 5 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त अनीस अहमद को आजीवन कारावास व 01 लाख 06 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिबाई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 6 पॉक्सो एकट के अन्तर्गत अभियुक्त उमाशंकर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह का

01 सदस्य गिरफ्तार, 04 पिस्टल व 07 मैगजीन बरामद।

दिनांक: 05—03—2024 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को 04 अदद पिस्टल .32 बोर एवं 07 अदद मैगजीन सहित जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

- राजाराम पुत्र स्व0 रामआधार निवासी सराय मुरार सिंह थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

### बरामदगी—

- 04 अवैध .32 बोर पिस्टल।
- 07 अदद मैगजीन।
- 01 अदद मोबाइल फोन।
- रु0 2,500/- नगद।

### गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय—

रॉयल गार्डर गेट के सामने जी0टी0 रोड दिनांक: 05—03—2024 समय 20:00 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को ऐसे अपराधियों/गिरोहों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुलापन में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ फील्ड इकाई कानपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, इस दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिहार के मुंगेर जिले से अवैध असलहे की खेप लेकर कानपुर नगर आयेगा। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा रॉयल गार्डर गेट के सामने जी0टी0 रोड थाना क्षेत्र रेल बाजार के पास से उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त राजाराम ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 1995 में पहली बार शराब के मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसके पश्चात वर्ष—2002 में गॉव में हुये मन्नू सिंह नामक व्यक्ति के हत्याकाण्ड में जेल गया था। जेल में इसकी मुलाकात अवैध पिस्टल तस्करी के मामले में जनपद प्रतापगढ़ कारागार में पूर्व से निरुद्ध निरंजन राम निरंजन राम से हुई। वर्ष—2007 में निरंजन राम जेल से जमानत पर छूटकर अभियुक्त राजाराम के घर पर पहुँचा तथा कुछ दिन रुका। निरंजन राम के साथ ही राजाराम उपरोक्त मुंगेर, बिहार गया और अवैध अहलहों की तस्करी का काम शुरू कर दिया। वर्ष—2016 में एस0टी0एफ प्रयागराज टीम द्वारा थाना कोहड़ोर जनपद प्रतापगढ़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वर्ष—2019 में मुंगेर से पिस्टल की खेप लाते समय जमालपुर जक्षन से जीआरपी द्वारा गिरफ्तार कर जेल गया था। जेल से छूटने के बाद मुंगेर निवासी राजन नामक व्यक्ति के साथ मिलकर अवैध पिस्टल का कारोबार करने लगा। तस्करी कर लाई गयी पिस्टलें प्रयागराज व आस—पास के जनपदों के अपराधियों को बेंचता है। राजाराम ने यह भी बताया कि रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ के दुबे जी नाम के व्यक्ति जिन्हें वह कभी मिला नहीं है, द्वारा भेजे गये व्यक्तियों को मुंगेर से लाई पिस्टले देता है। दिनांक: 18—02—2024 को भी 03 पिस्टलें दुबे जी द्वारा भेजे गये व्यक्ति को दिया था। दिनांक: 03—03—2024 को भी मुंगेर से पिस्टल लेकर गोरखपुर लखनऊ के रास्ते कानपुर आया था जहाँ पर दुबे जी द्वारा बताये गये व्यक्ति को एक पिस्टल देनी थी तथा शेष पिस्टल प्रतापगढ़ में देनी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रेलवाजार कमिशनरेट कानपुर पर मु0अ0सं0 31/24 धारा 3/25 आर्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

### **गिरफ्तार अभियुक्त राजाराम उपरोक्त का ज्ञात अपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 50/95 धारा 60 आबकारी अधिराम थाना मान्धाता प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0—162/95 धारा 307/506 भारदवाली थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0—190/96 धारा 5/25 आर्स एक्ट थाना मान्धाता प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0—293 / 98 धारा 302 / 394 / 411 भा0द0वि0 थाना जेठवारा,  
प्रतापगढ |
  5. मु0अ0सं0—179 / 98 धारा 41 / 411 भा0द0वि0 थाना मान्धाता प्रतापगढ |
  6. मु0अ0सं0—180 / 98 धारा 25 / 27 आम्स एकट थाना मान्धाता प्रतापगढ |
  7. मु0अ0सं0—108 / 98 धारा 41 / 411 भा0द0वि0 थाना मान्धाता प्रतापगढ |
  8. मु0अ0सं0—109 / 98 धारा 4 / 25 आम्स एकट थाना मान्धाता प्रतापगढ |
  9. मु0अ0सं0—110 / 98 धारा 4 / 5 विस्फोटल अधि0 थाना मान्धाता प्रतापगढ |
  10. मु0अ0सं0—21 / 98 धारा 379 / 411 भा0द0वि0 थाना शहादतगंज लखनऊ
  11. मु0अ0सं0—61 / 2001 धारा 394 / 411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली प्रतापगढ |
  12. मु0अ0सं0—46 / 2002 धारा 147 / 302 / 201 / 120बी भा0द0वि0 थाना मान्धाता  
प्रतापगढ
  13. मु0अ0सं0—425 / 2002 धारा 2 / 3 गैंगस्टर एकट थाना मान्धाता प्रतापगढ |
  14. मु0अ0सं0—468 / 2003 धारा 302 भा0द0वि0 कोतवाली प्रतापगढ |
  15. मु0अ0सं0—222 / 19 धारा 4 / 5 विस्फोटक अधि0 थाना मान्धाता प्रतापगढ |
  16. मु0अ0सं0—223 / 19 धारा 3 / 25 आम्स एकट थाना मान्धाता प्रतापगढ |
  17. मु0अ0सं0—211 / 22 धारा 3 / 25 आम्स एकट थाना मान्धाता प्रतापगढ |
  18. मु0अ0सं0—25 / 19 धारा 3 / 25 आम्स एकट थाना जी0आर0पी0 जमालपुर,  
बिहार |
  19. मु0अ0सं0—31 / 24 धारा 3 / 25 आम्स एकट थाना रेलबाजार कमिशनरेट  
कानपुर |
-